दिनांक 09.07.2016 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की सम्पन्न बैठक/कार्यशाला की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट का गठन भारत सरकार के निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत झारखंड राज्य सरकार के गजट के माध्यम से किया गया है। उन्होने यह भी बताया कि खनन पटटाधारियों द्वारा भुगतान किये गये ~~स्वामीस्व~~ स्वामित्व की राशि का 30 प्रतिशत राशि इस ट्रस्ट को प्राप्त होगा और इस राशि से खनन कार्य से पूर्णतः एवं आंशिक प्रभावित क्षेत्रों का विकास किया जाना है।

जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद ने बताया कि धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के तीन स्तरीय समिति का गठन किया गया है। खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों की विकास के लिए योजनाओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है, जिसमें संबंधित क्षेत्र/गॉव के कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है तथा बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला तथा कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक है। बैठक का संचालन संबंधित क्षेत्र के मुखिया एवं उप मुखिया करेगें। क्षेत्र के विकास के लिए जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदुषण नियंत्रण आदि की योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में सड़क, नाली, पुल–पुलिया, जल निकासी की योजनायें ली जा सकती है। खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों की सूची सभी उपस्थित जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उन्होने यह भी बताया कि 73 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इस सूची में वर्णित ग्राम पंचायत/ गॉव के अतिरिक्त भी यदि कोई ग्राम पंचायत या गॉव छुट गया है या सूची में वर्णित क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया इसकी लिखित सूचना जिला खनन पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त, धनबाद को दे सकते है। जॉचोपरान्त उसे सूची में शामिल करने एवं सूची से हटाने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होनें यह भी बताया कि ग्राम सभा से पारित ~~योजनाओं~~ योजनाओं में से प्रबंधकीय समिति बहु उपयोगी योजना का चयन कर शासी निकाय के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी, जिनसे अनुमोदन के पश्चात योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। योजना के अनुश्रवण का अधिकार ग्राम सभा की होगी।

कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि नगरनिगम एवं नगर पंचायत के बहुत से क्षेत्र खनन प्रभावित है, जिनका नाम सूची में अंकित नहीं है।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं पत्रकारों का स्वागत करते हुए बताया कि सभी राजस्व ग्रामों में ग्रामसभा की जानी है। ग्राम सभा बैठक की विडियोग्राफी कराकर प्रस्तावित योजना के साथ दाखिल किया जाना है। योजना का चयन में पूरे गॉव को ध्यान में रखा जाय। जलापूर्ति एवं जनसंचय की अधिकांश योजना का चयन किया जाय। बन्द पड़ें खादान को सुरक्षित कर उसे बड़े तालाब के रूप में विकसित करने की भी योजना ली

Scanned by CamScanner

जा सकती है। बन्द पड़े खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण की योजना भी ली जा सकती है, जिससे वाहन से होनेवाले प्रदूषण को कम किया जा सके। कोलियरी प्रबंधन खनन के दौरान जो पानी नदी में बहाव करता है, उस पानी को अपने क्षेत्र में कृषि एवं अन्य घरेलु उपयोग में लाने हेतु जलापूर्ति की येाजना का भी चयन किया जा सकता है। खनन क्षेत्र से होने वाले पलायन को रोकने के लिए युवक एवं युवती को प्रशिक्षित करने हेतु कलस्टर केन्द्र स्थापित किया जा सकता है, जहॉ प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति करा कर कौशल विकास कर प्रभावित क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होने यह भी बताया कि गॉवों का सर्वेक्षण कर समेकित विकास की योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञों का चयन करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होने बताया कि नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्र के खनन से प्रभावित क्षेत्र को ट्रस्ट की सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिया गया–

1. सांसद प्रतिनिधि, धनबाद द्वारा नगरनिगम एवं नया पचांयत क्षेत्र को भी सूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया।
2. विधायक प्रतिनिधि, सिन्दरी द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनायें ग्रामों में लेने एवं पीट वाटर को फिल्टर कर जलापूर्ति कराने तथा पीट वाटर को कृषि कार्य एवं अन्य कार्य में उपयोग में लाने हेतु योजना चयन करने का सुझाव दिया गया।
3. श्री कौशिक दास, टिस्को के पदाधिकारी द्वारा वर्षा के पानी को नहर के माध्यम से कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाने, रूफ वाटर को हारवेस्टिंग करने, रेन वाटर के फ्लो को पत्थर डालकर कम करने की योजनायें लेने का सुझाव दिया गया।
4. श्री शिवु महतो, विधायक प्रतिनिधि, बाघमारा द्वारा कौशल विकास करने, पीट वाटर के फ्लो का उपयोग कृषि कार्य हेतु करने के लिए योजना चयन का सुझाव दिया गया।
5. माननीय विधायक श्री अरूप चटर्जी ने खनन क्षेत्र में अधिक से अधिक राशि जलापूर्ति योजना एवं ओपेन कास्ट क्षेत्र में Raw Water ले जाने की योजना लेने का सुझाव दिया गया।

अंत में धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

16/7/16 — जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद। 16.7.16
16/07/2016 — उप विकास आयुक्त, धनबाद।
16/7/16 — उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 16 / धनबाद, दिनांक -19-07-2016

प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारियों/जनप्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/7/16 — जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद। 16.7.16
16/07/2016 — उप विकास आयुक्त, धनबाद।
16/7/16 — उपायुक्त, धनबाद।

Scanned by CamScanner